दिनांक 23.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 31/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **35 हजार 50 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22/23.12.2024 की रात्रि थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंडावर रोड स्थित जैन फार्म हाउस पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त लवी उर्फ सुशान्त उर्फ हिमांशु घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध चोरी, अपहरण, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लवी उर्फ सुशान्त उर्फ हिमांशु निवासी नई बस्ती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—35 हजार 50 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना बिहार

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.12.2024 को थाना बिहार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पाटन धमनीखेड़ा मार्ग पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सूरज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिहार पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिहार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सूरज निवासी ग्राम रनागढ़ी थाना माखी जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना मण्डी

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **300 ग्राम अवैध चरस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 23.12.2024 को थाना मण्डी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जुल्मगढ़ पुलिया से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 300 ग्राम अवैध चरस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मण्डी पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध लूट, हत्या प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– अनिल निवासी ग्राम हड्डा थाना दुधारा जनपद सन्त कबीर नगर ।

बरामदगी

1–300 ग्राम अवैध चरस।

2–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगरन/थाना फेस–03

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **07 लाख 72 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 22.12.2024 को थाना फेस–03 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गढ़ी गोल चक्कर के पास से 02 अभियुक्तों 1– जितेन्द्र उर्फ गोलू 2– राजेश उर्फ गंजा

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 07 लाख 72 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना फेस–03 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फेस–03 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–03 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र उर्फ गोलू निवासी गांव रायसर जनपद जयपुर, राजस्थान हालपता–नांगलोई ज्वालापुरी थाना नांगलोई, दिल्ली।

2–राजेश उर्फ गंजा निवासी खटीकपाडा घटिया मार्केट थाना हरिपर्वत , आगरा हालपता–राजीव रातन आवास बापोला थाना नरेला, दिल्ली।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–07 लाख 72 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **लगभग 06 लाख रूपये (कीमत) के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **02 लाख 10 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनॉकः 23.12.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पठा रोड से 02 अभियुक्तों 1– दीपक 2– चरन सिंह को

गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये (कीमत) के सोने–चॉदी के आभूषण, 02 लाख 10 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक के विरूद्ध जनपद महोबा के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त चरन सिंह के विरूद्ध जनपद झॉसी, महोबा, म0प्र0 के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी नया प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास होटल मीरा हेरिटेज के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

2–चरन सिंह निवासी ग्राम देवथा थाना अलीपुरा जनपद छतरपुर, म0प्र0।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख रूपये (कीमत) के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–02 लाख 10 हजार रूपये नगद आदि।

जनपद रामपुर/थाना शहजादनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 23.12.2024 को थाना शहजादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम नसरतनगर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की

घेराबन्दी की गयी तो बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त समीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शहजादनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समीर निवासी ग्राम जुठिया थाना शहजादनगर जनपद रामपुर।

बरामदगी

01 मोटर साइकिल

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि

जनपद आजमगढ़/थाना मेंहनगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 30 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन**
- **05 अन्य मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.12.2024 को थाना मेंहनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मगरावा मोड़ से विषहम की तरफ जाने वाले रोड से 06 अभियुक्तों 1– आलोक उर्फ

अभिषेक 2—सत्यम कुमार 3—सौरभ कुमार 4—साहिल उर्फ शिवम 5—विजय 6—साहिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 30 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन, 05 अन्य मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आलोक उर्फ अभिषेक निवासी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

2—सत्यम कुमार निवासी बुढनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

3—सौरभ कुमार निवासी बुढनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

4—साहिल उर्फ शिवम निवासी रत्नावे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

5—विजय निवासी पलया करौदी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

6—साहिल निवासी पलया करौदी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—चोरी के 30 हजार रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन।

3—05 अन्य मोबाइल फोन।

4—02 मोटर साइकिल।

5—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना हरगांव

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 23.12.2024 को थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जहांगीराबाद पुलिया से 02 अभियुक्तों 1—सचिन 2—ललित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त ललित कुमार के विरूद्ध जनपद सीतापुर के थाना हरगांव पर डकैती, चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हरगांव पुलिस द्वारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सचिन निवासी ग्राम बक्सोहिया थाना हरगांव जनपद सीतापुर।

2—ललित कुमार निवासी पिपरघुरी थाना हरगांव जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—चोरी की 12 मोटर साइकिल।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना पिपरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पिपरी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त पंचम लाल को धारा 302/34 भादवि व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त सुन्दर लाल को धारा 302/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कन्नौज (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 05 करोड़ 50 लाख 20 हजार 600 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद कन्नौज पुलिस ने अभियुक्त 1–नवाब सिंह यादव 2–वीरपाल उर्फ नीलू पुत्रगण चेतराम नि0गण ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ 50 लाख 20 हजार 600 रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

एसटीएफः अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 02.10 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 23–12–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को 02.10 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. मनोज कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 ओमकार नाथ मिश्रा निवासी चन्द्रावा, थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच।
2. असलम पुत्र मुबारक निवासी ग्राम देवचरा तहसील ऑवला, थाना भमौरा, जनपद बरेली।

बरामदगी :–

1– 02.10 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रूपये)।

2– 01 अदद महिन्द्रा पिकप वाहन सं0 यू0पी0–46–टी–1797

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

नरैनी बॉदा नरैनी रोड नवाबगंज टैंक तिराहा कस्बा बॉदा, थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, जनपद बॉदा। दिनांक 23–12–2024 समय 06.15 बजे प्रातः।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 23–12–2024 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद बॉदा में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की व्यापक स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य उड़ीसा से पिकप वाहन नं0 यू0पी0–46–टी–1797 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लोड करके बॉदा होते हुए बरेली जाने वाले हैं। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी संतोष कुमार, अमित कुमार शर्मा, चन्दन भारती, आरक्षी किशन, आरक्षी चालक मनोज कुमार यादव की टीम द्वारा नरैनी बॉदा नरैनी रोड नवाबगंज टैंक तिराहा कस्बा बॉदा थाना क्षेत्र कोतवाली नगर जनपद बॉदा के पास उक्त पिकप को रोककर तलाशी ली गयी तो पिकप के केबिन के पीछे कैविटी में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) छिपाकर रखा हुआ पाया गया, जिस पर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका अवैध मादक पदार्थ तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये उमरकोट (उड़ीसा) राज्य से गॉजा लाकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में ऊँचें दामों में बेचता है। पूछताछ पर यह भी बताया कि उड़ीसा से गॉजा खरीदने और पहुँचाने का कार्य कई वर्षो से इनके द्वारा किया जा रहा है। उड़ीसा से अवैध गॉजा उसके सहयोगी हरीश कुमार गुप्ता उर्फ मोनू व युसुफ अन्सारी द्वारा पिकप में बनी विशेष कैविटी में लदवाया गया था, जिसे प्रयागराज व बरेली पहुँचाना था। इनके द्वारा माल को सुरक्षित स्थान में पहुँचाने पर 15–15 हजार रूपये ईनाम के रूप में अलग से दिये जाते हैं तथा इस काम में जो भी मुनाफा होता है वह आपस में बॉट लेते हैं। इसके पूर्व भी इनके द्वारा कई बार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध गॉजा सप्लाई किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद बॉदा में मु0अ0सं0 1074/24 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एसटीएफः दिनांक 11–02–2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग के 02 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 23–12–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11–02–2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग के 02 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–रजनीश कुमार पुत्र राजनाथ राम, ग्राम बीबीपुर कदीम, थाना तहबरपुर, आजमगढ़।

2–धर्मेन्द्र सेठ पुत्र श्री राम अचल सेठ, निवासी मोहल्ला रमकियान कस्बा सिरसा, थाना मेजा, जनपद प्रयागराज।

बरामदगीः–

1– 02 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

हरसहाय जगदम्बा इण्टर सेठ पी रोड, थाना वजरिया, जनपद कानपुर नगर। दिनांक 22–12–2024 समय 16.45 बजे। (अभि0 धर्मेन्द्र सेठ)

एस0टी0एफ0 ऑफिस गोरखपुर फील्ड यूनिट जनपद गोरखपुर। दिनांक 22–12–2024 समय 15.45 बजे। (अभि0 रजनीश कुमार)

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा–2023 दिनांक 11–02–2024 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी। उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत मिलने पर उ0प्र0 शासन द्वारा उक्त परीक्षा को

निरस्त करते हुये प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की सम्पूर्ण जॉच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आवंटित की गयी, जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के उच्चाधिकारीगण द्वारा कमेटी गठित कर प्रश्नपत्र लीक प्रकरण का अनावरण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में ठीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त प्रकरण से संबंधित मु0अ0सं0 74/24 थाना सिविल लाइन प्रयागराज की विवेचना निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के द्वारा की जा रही है, को अभिसूचना संकलन से मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण रजनीश कुमार पुत्र राजनाथ राम व धर्मेश सेठ पुत्र रामअचल सेठ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुयी जिसके क्रम में इन अभियुक्तो को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ पर धर्मेन्द्र सेठ व रजनीश कुमार उपरोक्त ने बताया कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा में संदीप पाण्डेय के माध्यम से 08/02/2024 की रात्रि प्रयागराज से ट्रेन के माध्यम से भोपाल पहुंचा था, जहां पर उसके बताये अनुसार होटल कमल पैलेस आनंद नगर भोपाल में कमरा नं0 202 में रूकवाया गया। होटल के रजिस्टर में एंट्री के समय मैंने अपनी आई0डी0 दी थी। 07–08 लड़के और भी थे, अगले दिन दोपहर को संदीप पाण्डेय, विशाल के साथ सुभष प्रकाश और विवेक उपाध्याय आदि तीन–चार लोग पेपर लेकर पहुंचे थे। पेपर में समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा का सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न थे। उन लोगों ने प्रश्न पत्र को गूगल के माध्यम से हल करवाया था एवं हम सभी लोगों को प्रश्न उत्तर पढ़ने को दिया था। शाम को हम सभी लोगों से प्रश्न उत्तर आदि वापस ले लिये थे एवं वापस जाकर परीक्षा देने को कहा गया था। दिनांक 11/02/2024 को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी–2023 की परीक्षा दी थी जिसमें वही प्रश्न आये थे जो कि संदीप पाण्डेय व उसके साथियों ने भोपाल के होटल में दिये थे। इसके लिये संदीप पाण्डेय को 12–15 लाख रूप्ये में सौदा हुआ था।

इस सम्बन्ध में संदीप पाण्डेय को उसके साथियों सहित दिनांक 23.06.2024 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2024 धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 34/120बी/201 आई0पी0सी0 व 3/4/9/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 व 66 आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही तद्नुसार की जायेगी।

———–